ओ0पी0 सिंह

आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी– 20 /2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः अप्रैल 6 ,2018
मई

विषय :उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम–1986 के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्याः137प्र. स/6–पु0–11–2003–58(रिट)/2003 दिनांक 02.01.2004, शासनादेश संख्याः यू0ओ0–6(1)/छः–पु0–9–11–गृह(पुलिस) अनुभाग–4 दिनांक 09.02.2011 एवं शासनादेश संख्याः2199/छः–पु0–9–14– 31(76)/ 2014 दिनांक 30.06.2014 तथा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं परन्तु उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न किए जाने के कारण बहुधा अत्यन्त असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अ0शा0परिपत्र	सं0–07/2010
दिनांक 08.02.2010	
डीजी परिपत्र	सं0–42/2012
दिनांक 08.09.2012	
डीजी परिपत्र	सं0–53/2014
दिनांक 18.08.2014	
डीजी परिपत्र	सं0–20/2017
दिनांक 31.07.2017	

2. पुनः स्मरण कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि शासन एवं इस मुख्यालय स्तर से निर्गत समस्त निर्देश गिरोहबन्द अधिनियम के दुरुपयोग को रोके जाने एवं सही अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने विषयक है।

3. यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है कि गैंगचार्ट यान्त्रिक रूप से तैयार किए जा रहे है तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए हस्ताक्षर बना दिया जाता है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

4. अतः पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न निर्देश निर्गत किए जाते है :–

(i) गैंगचार्ट थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जायेगा, उस पर क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक की स्पष्ट संस्तुति अंकित की जायेगी, तत्पश्चात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी द्वारा गैंगचार्ट का सम्यक् परिशीलनोपरान्त अनुमोदन हेतु जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जायेगा।

(ii) गैंगचार्ट तैयार करने वाले थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष द्वारा गैंगचार्ट के नीचे इस आशय का एक नोट अंकित किया जायेगा कि उनका यह समाधान हो गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अंकित अपराधिक विवरण पुर्णतया सही है तथा उनके अपराधिक कृत्य से उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम–1986 का अपराध प्रथम दृष्टया सृजित होता है साथ ही प्रत्येक अभियुक्त का अपराधिक इतिहास चाहे वह उसमें दोषमुक्त हो गया हो अथवा उसमें अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी हो अथवा विवेचनाधीन हों, को संलग्न करते हुए नोट में उल्लेख किया जायेगा।

(iii) जिन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी हो या विचारण के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका हो, उन्हें गैंगचार्ट के अपराधिक विवरण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iv) जिन अपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में एक बार उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है, उसी को आधार बनाकर पुनः कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(v) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना अनिवार्यतः दूसरे थाने के थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष द्वारा ही करायी जायेगी।

(vi) मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उधम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(61) A.C.C. 642 में पारित अपने आदेश दिनांकित 26.03.2008 में उल्लिखित किया है कि–

"It is not the requirement of law that the FIR for the input offence must be registered before he is booked under the Act. Since the purpose of the Act is to curb the activities of gangster, which are more often than not commit not in any public gaze therefore the provisions of Act have to interpret in a manner which fosters its purpose and the intention of legislature best."

(vii) मा0 उच्च न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत किसी अपराध की विवेचना के समय अभियुक्तगण के अपराधिक कृत्य गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित अपराध से आच्छादित पाये जाने पर उक्त अभियोग में उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की अभिवृद्धि करके उपरोक्तानुसार विवेचना की जा सकती है परन्तु गिरोहबन्द अधिनियम की धारा की वृद्धि किए जाने से पूर्व उपर्युक्त शासनादेशों एवं निर्गत निर्देशों के अनुरूप गैंगचार्ट का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है।

(viii) परिपत्र सं0 20/2017 दिनांक 31.07.2017 का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि धारा-12 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम का अनुपालन अधिनियम की मंसा के अनुरूप सुनिश्चित हो।

(ix) गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध का विचारण समाप्त होने के पश्चात् ही गैंगचार्ट में अंकित अन्य न्यायालयों में विचाराधीन अन्य मुकदमों का विचारण कराया जाए तथा विशेष गिरोहबन्द न्यायालय में गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग के विचारण तक अन्य न्यायालयों में लम्बित अन्य अभियोगों का विचारण स्थगित(**In abeyance**) रखे जाने की विधि व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए।

(x) इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी मामलों की, जिनमें गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, सन्दर्भित शासनादेश दिनांकित 30.06.2014 के अनुरूप गठित समिति द्वारा नियमित त्रैमासिक समीक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जाएगी।

भवदीय,

6-5-18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।